संख्या जैड.28015/119/2012-एच

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(हॉस्पिटल- II अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 18 सितम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विभिन्न केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों में कार्यरत समूह 'क' और 'ख' (गैर-मंत्रालयी कर्मचारी) के संबद्ध स्वास्थ्य परिचर्या व्यावसायियों को अस्पताल रोगी परिचर्या भत्ता (एचपीसीए)/ रोगी परिचर्या भत्ता (पीसीए) प्रदान करने के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के संबंध में ।

इस मंत्रालय के दिनांक 17.05.2018 सम संख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में तथा सातवें वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप, जोखिम एवं विपत्ति मैट्रिक्स के सेल आर1 एच3 के अनुसार विभिन्न केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों में कार्यरत नर्सों को छोड़कर सभी समूह 'क' और 'ख' (गैर-मंत्रालयी कर्मचारी) के संबद्ध स्वास्थ्य परिचर्या व्यावसायियों को एचपीसीए/ पीसीए के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन दे दिया गया है, यदि वे इस मंत्रालय के पत्र संख्या जैड.28015/24/2001-एच दिनांकित 04.02.2004 मे निर्धारित शर्तों को पूरा करते है तो यह भत्ता निम्नलिखित तरीके से दिया जाएयगा :

क्र.सं.	वेतनमान स्तर	प्रतिमाह स्वीकृत एचपीसीए/ पीसीए की राशि दर
1.	स्तर 8 और इस से नीचे	रुपए 4,100/-
2.	स्तर 9 और इस से ऊपर	रुपए 5,300/-

2. यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन भी होगा:

(i) यदि कोई व्यक्ति एक कलैण्डर माह से कम अवधि के लिए अवकाश/ प्रशिक्षण पर जाता है तो एचपीसीए/ पीसीए स्वीकृत किया जा सकता है।

(ii) यदि कोई व्यक्ति एक कलैण्डर माह के समान अथवा इससे अधिक अवधि के लिए अवकाश/ प्रशिक्षण पर जाता है तो एचपीसीए/ पीसीए स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

(iii) अप्राधिकृत अवकाश के मामले में एचपीसीए/ पीसीए स्वीकृत नहीं होंगे।

3. यह आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा ।

4. इसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की आईडी संख्या ए.-27023/1/2017/ई.IIबी/7 सीपीसी/पार्ट दिनांकित 30.07.2019, 16.08.2019 और 11.09.2019 के माध्यम से जारी किया जाता है।

(एम.के.सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23061521

सेवा में,

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के नियंत्रणाधीन में सभी अधीनस्थ कार्यालय के प्रमुख।
2. सभी अतिरिक्त महानिदेशक/ उप महानिदेश/ निदेशक (सीजीएचएस)
3. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

4. रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली
5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6. रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
9. शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली
11. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली
12. चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली
13. चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
14. निदेशक, एलएचएमसी और एसोसिएट अस्पताल, नई दिल्ली
15. डीडीए, एम्स, नई दिल्ली
16. जेसीएम सेक्शन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस ओएम को सभी मान्यता प्राप्त संस्था आदि में प्रसारित करने के अनुरोध के साथ।
17. श्री कप्तान सिंह सेहरावत, महासचिव, संयुक्त फोरम ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
18. महासचिव,अखिल भारतीय सीजीएचएस कर्मचारी संघ, साकेत कुंज, सेक्टर -9, रोहिणी दिल्ली
19. अध्यक्ष, यूनियन ऑफ एलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स, एम्स, नई दिल्ली
20. एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
21. एनआईसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित के लिय अनुरोध के साथ
22. अध्यक्ष, यूजीसी, नई दिल्ली
23. अनुभाग अधिकारी (न्यायिक), कैट (पीबी), नई दिल्ली (कैट के दिनांक 27.02.2019 के आदेश ओ ऐ नं. 3517/2018 के संदर्भ में)

प्रति प्रेषित -

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी संयुक्त निदेशकों को उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी अस्पतालों/ संस्थानों को कार्यालयज्ञापन परिचालन करने हेतु।

(ii) सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)/ सचिव (आयुष)/ अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/ अपर सचिव (स्वास्थ्य) के प्रमुख निजी सचिव।

(एम.के.सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061521